भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 32

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि का संवर्धन

***32. श्री गोपाल शेट्टी :**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि का संवर्धन करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया है;

(घ) क्या इस संबंध में किसानों को जानकारी दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या है जिनमें उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कृषि का संवर्धन' के संबंध में दिनांक 04.02.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): भारत सरकार, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मंतव्य उत्पादन को बढ़ाकर, लाभकारी आय दिलाकर और किसानों की आय में सहायता करके उनका कल्याण करना है। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की सूची **अनुबंध-।** पर दी गई है। भारत सरकार द्वारा यह सभी कदम देश के किसानों के कल्याण के लिए उठाएं गए हैं।

(ग) से (घ): सरकार, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पंचायत और ग्राम स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है:-

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना के नाम से लोकप्रिय 'विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना देश के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 684 जिलों में कार्यान्वित की जाती है। यह योजना किसानों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयतगत क्षेत्रों में विस्तार प्रणाली को नया स्वरूप देने और उन्नत कृषिगत प्रौद्योगिकियां व अच्छी कृषि पद्धतियां उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से देश में विकेन्द्रीकृत किसान अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। एटीएमए के तहत विस्तार गतिविधियों में किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन दौरे, किसान मेले, किसान समूहों का प्रेरित करने और फार्म-स्कूलों का संचालन करना शामिल हैं। वर्ष 2018-19 और वर्तमान वर्ष 2019-20 (अब तक) के दौरान एमटीएमए के तहत क्रमश: 19.18 लाख और 7.73 लाख किसान प्रशिक्षण से लाभांवित हुए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने 716 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के नेटवर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन, प्रदर्शन और किसानों की क्षमता विकास का कार्य करता है। केवीके, उच्च कृषि उत्पादन व आय प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में केवीके द्वारा 15.75 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और बिस्वनाथ चरियाली (असम) में स्थित 4 कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में किसानों सहित विभिन्न श्रेणी के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 (अब तक) के दौरान इन संस्थानों ने क्रमश: 9905 व 5723 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है।

देश के 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर के चिंहित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेंहू, दलहन, मोटे अनाज और पोषक अनाजों (कदन्न) का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। वर्ष 2018-19 और 2019-20 (अब तक) के दौरान क्रमश: 342188 व 511530 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। यह योजना फलों, सब्जियों, कंद एवं मूल फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच के तहत कवर किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 (अब तक) क्रमश: 191086 व 1942 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उप-मिशन के तहत किसानों का प्रशिक्षण एक अन्तर्निहित (इनबिल्ट) घटक है। किसानों के बीच समेकित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसान फील्ड स्कूल संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 (अब तक) के दौरान इस योजना के तहत क्रमश: 712 और 351 एफएफएस आयोजित किए गए हैं।

छोटे और सीमांत किसानों को तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां फार्म पॉवर की उपलब्धता कम है, वहां कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन शुरू किया गया था। वर्ष 2018-19 और वर्तमान वर्ष अर्थात 2019-20 (अब तक) के दौरान क्रमश: 385300 और 147503 कृषि मशीनरियां वितरित की गई हैं तथा क्रमश: 5189 और 2300 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सीआरएम) में फसल अवशेष के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित की जा रही है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पराली जलाने से रोकने के लिए वर्ष 2018-19 में 575.18 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2019-20 (अब तक) के दौरान 594.14 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई।

कृषि प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं-

कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को किसानों के लिए कृषि से संबंधित सूचना की समय पर पहुंच हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए शुरू किया गया था। किसान सुविधा मोबाईल अनुप्रयोग किसानों को महत्वपूर्ण मानदण्ड अर्थात मौसम; मण्डी मूल्य; पौध संरक्षण; इनपुट डीलर (बीज, कीटनाशक, उर्वरक); कृषि उपकरण; मृदा स्वास्थ्य कार्ड; शीतगृह एवं गोदाम, पशु चिकित्सा केन्द्र एवं नैदानिक प्रयोगशालाएं इत्यादि के संबंध में जानकारी का प्रसार करने में सहायक है। एम-किसान पोर्टल (www.mkisan.gov.in) पर एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत किसानों को फसल से संबंधित परामर्शिकाएं भेजी जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने फसल, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं एकीकृत विषयों के क्षेत्रों में आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा विकसित किए गए 100 से अधिक मोबाईल एप का संकलन किया है।

राष्ट्रीय कृषि मण्डी स्कीम (ई-नाम) किसानों को प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाईन ट्रैडिंग प्लेटफॉर्म की प्रणाली के माध्यम से उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रति बूंद अधिक फसल घटक सूव्यवस्थित/सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल प्रयोग सक्षमता पर जोर देता है। कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए उन्नत/वैज्ञानिक भंडारण क्षमता में सुधार/सृजन करने एवं फसलोपरांत भंडारण नुकसान को कम करने के उद्देश्य से समेकित कृषि विपणन की उप-स्कीम कृषि विपणन अवसंरचना का कार्यान्वयन किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम राज्य सरकारों को देश भर के किसानों को मृदा स्वाथ्स्य कार्ड प्रदान करने में सहायता करती है जो किसानों को फसल उत्पादकता एवं मृदा उर्वरता में सुधार करने के लिए प्रयोग किए

जाने वाले पोषक तत्वों की उचित मात्रा पर सिफारिश देने के साथ-साथ उनकी मृदा की पोषक स्थिति से संबंधित सूचना प्रदान करता है।

विभिन्न कार्यक्रमों/क्षेत्रों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके कृषिगत आउटपुट का पूर्वानुमान, कृषि मौसम विज्ञान एवं भू-आधारित प्रेक्षण परियोजना, भू-सूचना परियोजना का प्रयोग करके समेकित बागवानी आकलन एवं प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषिगत सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली, चावल परती क्षेत्र मानचित्रण एवं सघनीकरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं फसल बीमा के तहत सृजित की गई अवसंरचना एवं परिसंपत्तियों की जिओटैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है।

सरकार ने कृषि समुदाय में तकनीक के प्रचार-प्रसार के लिए जिला स्तर पर 716 कृषि विज्ञान केन्द्र एवं 684 कृषिगत प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को केन्द्रित प्रचार अभियानों, किसान कॉल केन्द्रों, उद्यमियों के कृषि व्यवसाय केन्द्र एवं कृषि क्लीनिक, कृषि मेले एवं प्रदर्शनी, किसान एसएमएस पोर्टल, इत्यादि के माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है।

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत किसानों को किराए पर मशीनों की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग केन्द्रों, उच्च तकनीक हब, कृषि उपकरण बैंक स्थापित किए गए हैं। एक बहुभाषी मोबाईल एप "सीएचसी-फार्म मशीनरी" शुरू किया गया है जिससे रेंटल प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण, निर्भर योग्य एवं ससमय सेवाएं प्रदान करने में सहायक है।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान गुणवत्तापूर्ण बीजों का विकास एवं उपलब्धता 380.30 लाख क्विंटल से बढ़कर 431.01 लाख क्विंटल हो गई है। वर्ष 2014-2019 के दौरान जलवायु अनुकूल किस्मों सहित 1100 से अधिक नई बीज किस्मों को जारी तथा अधिसूचित किया गया है जिसमें से 35 बायो-फोर्टिफाईड हैं।

(ड.): उक्त कार्यक्रम आयोजित करने वाले राज्यों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-।।** पर दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं.32

अनुबंध- ।

सरकार की कार्यनीति, कृषि को व्यवहारिक बनाकर किसानों का कल्याण करने पर केंद्रित है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने पर केंद्रित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की अग्रणी योजना का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. 'प्रति बूंद अधिक फसल पहल" जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम शमन के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई। यह योजना विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के साथ ही बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। वर्ष 2018 में पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xi. सरकार ने कृषि क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंकों की उपलब्धि लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही है। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xiii. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xiv. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को चार माह के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है।

xv. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3 हजार रूपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है।

लो.स.ता.प्र.सं. 32

अनुबंध-।।

किसान अनुकूल कार्यकलाप (2019-20)

क्रम संख्या	राज्य	अध्ययन-दौरा		प्रशिक्षण		प्रदर्शन		किसान मेला		कुल		एफआईजी का संघटकीकरण	फार्म स्कूल
			महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	2082	696	30634	14133	1299	1083	3230	1598	37245	17510	34	26
2	बिहार	23816	5770	73643	17447	1986	0	36495	8561	135940	31778	1163	762
3	छत्तीसगढ़	5814	571	14602	4885	12008	903	43660	14067	76084	20426	115	114
4	गोवा	94	412	1194	1886	92	43	88	52	1468	2393	45	5
5	गुजरात	22246	12535	95863	56497	24452	8251	32767	11857	175328	89140	3014	744
6	हरियाणा	12000	2300	10230	1650	2520	0	19000	3200	43750	7150	0	204
7	हिमाचल प्रदेश	70	30	2057	1362	789	525	1358	3067	4274	4984	36	65
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	6896	2974	7707	3268	4387	1881	14830	6304	33820	14427	432	539
10	कर्नाटक	13873	5968	16067	14792	677	472	30239	31925	60856	53157	857	307
11	केरल	2282	1995	8254	6567	725	0	162	117	11423	8679	469	48
12	महाराष्ट्र	8530	3655	51962	22385	32124	13767	10887	4664	103503	44471	1319	3199
13	मध्य प्रदेश	5635	778	9764	859	2417	52	13268	637	31084	2326	1549	695
14	ओडिशा	13072	5428	11644	4756	4000	1635	2100	900	30816	12719	2796	628
15	पंजाब	5135	71	6485	152	315	9	34933	2283	46868	2515	0	49
16	राजस्थान	5935	759	16908	5374	25844	8666	48486	11313	97173	26112	292	434
17	तेलंगाना	4549	1948	26769	11473	1524	654	6654	2976	39496	17051	187	86
18	तमिलनाडु	84805	36347	67312	28847	28920	12395	34371	14729	215408	92318	2327	423
19	उत्तर प्रदेश	21810	8890	54545	22708	13908	5960	143963	61688	234226	99246	2148	3188
20	उत्तराखंड	6168	2299	13506	5146	3202	918	18028	8360	40904	16723	300	269
21	पश्चिम बंगाल	20940	11660	75200	44800	18700	11000	250	125	115090	67585	1050	830
22	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	आंध्र प्रदेश	0	0	34860	14940	2278	977	69230	29720	106368	45637	0	0
24	मणिपुर	1500	0	800	0	600	0	0	0	2900	0	180	60
25	मेघालय	616	626	1618	2178	294	0	496	565	3024	3369	80	71
26	मिजोरम	1158	592	3208	2152	2107	813	520	200	6993	3757	0	30
27	नागालैंड	1878	1487	9509	9583	5595	7721	20946	9847	37928	28638	296	74
28	त्रिपुरा	0	0	404	171	2145	0	0	0	2549	171	0	0
29	सिक्किम	416	126	764	236	542	403	428	258	2150	1023	31	31
30	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	अंडमान निकोबार द्वीप समह	0	0	220	161	14	6	2877	1956	3111	2123	0	1
	कुल	**271320**	**107917**	**645729**	**298408**	**193464**	**78134**	**589266**	**230969**	**1699779**	**715428**	**18720**	**12882**
		379237		**944137**		**271598**		**820235**		**2415207**			

लो.स.ता.प्र.सं. 32
अनुबंध-।। (जारी)

कौशल प्रशिक्षणों (200 घंटे की अवधि) की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	117	170	691
2	अरुणाचल प्रदेश	32	0	80
3	असम	57	57	336
4	बिहार	178	40	1022
5	छत्तीसगढ	183	0	589
6	दिल्ली	37	0	40
7	गोवा	0	0	40
8	गुजरात	192	21	599
9	हरियाणा	197	40	318
10	हिमाचल प्रदेश	111	16	380
11	जम्मू एवं कश्मीर	70	62	564
12	झारखंड	146	0	648
13	कर्नाटक	72	38	767
14	केरल	75	20	389
15	मध्य प्रदेश	204	80	1428
16	महाराष्ट्र	292	78	1189
17	मणिपुर	77	0	254
18	मेघालय	37	0	140
19	मिजोरम	79	22	110
20	नागालैंड	105	90	231
21	ओडिशा	90	0	923
22	पंजाब	224	101	620
23	राजस्थान	351	174	1295
24	सिक्किम	30	0	40
25	तमिलनाडु	185	20	520
26	तेलंगाना	75	40	522
27	त्रिपुरा	39	0	100
28	उत्तर प्रदेश	173	60	967
29	उत्तराखंड	28	20	360
30	पश्चिम बंगाल	143	29	756
	कुल	**3599**	**1178**	**15918**

****